

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/स्वै.से./वी-07/2017/

दिनांक

आदेश

श्रीमती विजयाम्मा डी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर जिनकी जन्म तिथि 20.05.1960 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 30.10.1983 है को उनकी स्वयं के प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 नियम 50 (1) में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 01.02.18 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

-54-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक 29/11/2017

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/स्वै.से./वी-07/2017/846

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय, मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 1912/एम/एमएच/2017 दिनांक 10.10.2017 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 6220 दिनांक 11.10.2017 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 1604 दिनांक 11.10.2017 के संदर्भ में।
4. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. डीपीसी अनुभाग (नर्सिंग), मुख्यालय।
8. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर